



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ परामर्श कार्य / 2026

नीति परिपत्र सं. 10.2.52/2026 दिनांक 28th सितम्बर 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. NHAI/SRD&Q/223/2022 (कम्प्यूटर सं. 216372 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/ Consultancy/ 2026

Policy Circular No. 10.2.52 / 2026 dated 28th September, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHAI/SRD&Q/223/2022 (Comp No. 216372))}

विषय: एमबीसीबी पर दिनांक 17 दिसंबर, 2024 के नीति परिपत्र संख्या 10.2.40/2024 में संशोधन/परिवर्तन के संबंध में।

Sub: Modification/Amendment in Policy Circular No. 10.2.40/2024 dated 17th December, 2024 on MBCB. reg:-

भाराराप्रा द्वारा मेटल बीम क्रैश बैरियर के अनुमोदन और स्थापना के संबंध में दिनांक 17 दिसंबर, 2024 को नीति परिपत्र संख्या 10.2.40/2024 जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्दिष्ट किया गया है कि मोटाई, सामग्री कोटि, पोस्ट के अंतराल, बोल्ट, एम्बॉसिंग आदि जैसे सभी तकनीकी विनिर्देश क्रैश परीक्षण रिपोर्ट में परिभाषित डिजाइन मानक को पूरा करते हैं।

NHAI issued Policy Circular No. 10.2.40/2024 dated 17th December, 2024 regarding approval and installation of Metal Beam Crash Barrier which inter alia specifies that all Technical Specifications like thickness, material grade, spacing of post, bolts, embossing, etc. meets the design standard defined in Crash Test Report.

2. प्राधिकरण के संज्ञान में आया है कि कुछ परियोजनाओं में ऐसे क्रैश टेस्टेड बैरियर का उपयोग किया जा रहा है जिनकी बीम और पोस्ट की मोटाई आईआरसी के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। इसके अलावा, कुछ क्रैश टेस्टेड बैरियर में डबल-बीम/थ्री बीम रेल और पोस्ट के बीच स्पेसर का प्रावधान नहीं है। साथ ही, इनमें से कुछ क्रैश-टेस्टेड बैरियर में चैनल प्रकार के पोस्ट नहीं हैं।

It has come to the notice of the Authority that in some Projects, the Crash Tested Barriers are being used which have Beam and Post thickness not conforming to IRC Provisions. Further, some Crash Tested Barriers do not have the Provision of spacer between W-Beam/Thrie Beam Rail and the Post. Also, some of these Crash-Tested Barriers do not have channel type post.

3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि विनिर्देशों और मानकों की नियमावली तथा आईआरसी:119 2015 के निम्नलिखित प्रावधानों का सभी भावी परियोजनाओं और उन परियोजनाओं में अनिवार्य रूप से पालन किया जाएगा जहां अभी एमबीसीबी स्थापित किया जाना बाकी है:

It has therefore been decided that the following Provisions of Manual of Specifications and Standards and IRC:119 2015 shall be mandatorily followed across all future Projects and Projects where MBCB is yet to be installed:

Contd....2/-

- (i) थ्राइ बीम सेफ्टी बैरियर में स्टील पोस्ट और 3 मिमी मोटी थ्राइ बीम रेल एलिमेंट शामिल होंगे। स्टील पोस्ट और ब्लॉकिंग आउट स्पेसर दोनों 75 मिमी x 150 मिमी और 5 मिमी मोटे चैनल सेक्शन के होंगे। स्टील पोस्ट का अंतराल केंद्र से केंद्र तक 2 मीटर होगा। पोस्ट की कुल लंबाई 2100 मिमी होगी (तल स्तर से 825-845 मिमी ऊपर, संतुलन लंबाई को तल में गाड़ा जाएगा) [संदर्भ: चार/छह लेन का बनाने हेतु नियमावली (आईआरसी एसपी:84/आईआरसी: एसपी:87) का चित्र 9.10, दो लेन का बनाने हेतु नियमावली (आईआरसी: एसपी: 73) का चित्र 9.11 और द्रुतमार्ग के लिए नियमावली (आईआरसी: एसपी:99) का चित्र 10.15]।

Thrie Beam Safety Barrier shall consist of Steel Posts and 3mm thick Thrie Beam rail element. The Steel Post and blocking out Spacer shall both be Channel section of 75mm x 150mm and 5 mm thick. The Steel Posts Spacing shall be 2m centre to centre. The Posts shall have an overall length of 2100 mm (825-845 mm above the ground level, with balance length driven into the ground) [Ref: Figure 9.10 of Four/Six laning manual (IRC SP:84/IRC: SP:87), Figure 9.11 of Two laning manual (IRC: SP: 73) and Fig 10.15 of Manual for Expressways (IRC: SP:99)].

- (ii) "डब्लू" बीम सेफ्टी बैरियर में स्टील पोस्ट और 3 मिमी मोटी 'डब्लू' बीम रेल एलिमेंट शामिल होंगे। स्टील पोस्ट और ब्लॉकिंग आउट स्पेसर दोनों 75 मिमी x 150 मिमी और 5 मिमी मोटे चैनल सेक्शन के होंगे। स्टील पोस्ट का अंतराल केंद्र से केंद्र तक 2 मीटर होगा। स्टील पोस्ट की कुल लंबाई 1800 मिमी होगी (तल स्तर से 730-755 मिमी ऊपर, संतुलन लंबाई को तल में गाड़ा जाएगा) [संदर्भ: चार/छह लेन का बनाने हेतु नियमावली (आईआरसी एसपी:84/आईआरसी: एसपी:87) का चित्र 9.9 और दो लेन का बनाने हेतु नियमावली (आईआरसी: एसपी: 73) का चित्र 9.10]।

"W" Beam Safety Barrier shall consist of Steel Posts and 3mm thick 'W' Beam rail element. The Steel Post and blocking out Spacer shall both be channel section of 75mm x 150mm and 5 mm thick. The Steel Posts spacing shall be 2m centre to centre. The Steel Posts shall have an overall length of 1800mm (730-755 mm above the ground level, with balance length driven into the ground) [Ref: Figure 9.9 of Four/Six laning manual (IRC SP:84/IRC: SP:87) and Fig 9.10 of Two laning manual (IRC: SP: 73)].

- (iii) "डब्लू" बीम, थ्राइ बीम, स्टील बैरियर के लिए पोस्ट, स्पेसर और फास्टरनर हॉट डिप प्रक्रिया द्वारा गैल्वनाइज्ड (जस्ता लेपित, 0.55 किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर; न्यूनतम सिंगल स्पॉट) किए जाएंगे। अन्य सभी स्टील भागों पर गैल्वनाइजिंग प्रासंगिक आईएस विनिर्देशों के अनुरूप होगी। सभी फिटिंग (बोल्ट, नट, वाशर) आईएस:1367 और आईएस:1364 के अनुरूप होंगे। सभी गैल्वनाइजिंग संविरोधन के बाद की जाएगी (संदर्भ: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विनिर्देशों का खंड 811.3.1.2)

The "W" Beam, the Thrie Beam, the Posts, Spacers and Fasteners for steel barriers shall be galvanized by hot dip process (Zinc coated, 0.55 kg per square meter; minimum single spot). The galvanizing on all other Steel parts shall conform to the relevant IS specifications. All fittings (bolts, nuts, washers) shall conform to the IS:1367 and IS:1364. All galvanizing shall be done after fabrication (Ref: Clause 811.3.1.2 of MORT&H specifications).

- (iv) डब्लू-बीम और थ्राइ बीम सेफ्टी बैरियर के सभी घटकों के लिए स्टील की कोटि ई350 होगी, जो आईएस 2062 (भाग-1):2025 के अनुरूप होगी।

The Grade of Steel shall be E350, conforming to IS 2062 (Part-1):2025 for all components of W-Beam and Thrie Beam Safety Barrier.

Contd....3/-

4. संदेह निवारण के लिए, यह दोहराया जाता है कि उपर्युक्त आवश्यकताओं के संबंध में कमी वाले किसी भी क्रैश टेस्टेड बैरियर की अनुमति नहीं दी जाएगी।

For the avoidance of doubt, it is reiterated that any Crash Tested Barrier deficient with respect to the above-mentioned requirements shall not be permitted.

5. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



28/09/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.